संख्या 310/आठ(8)/67

प्रेषक,

श्री शिव प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार ।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

लखनऊ : दिनांक 16 अप्रैल, 1981

विषय : स्थानीय निकायों तथा केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों द्वारा ग्रहीत संचालित व नियंत्रित औद्योगिक व्यवसायिक व वाणिज्य प्रतिष्ठानों के अधीन नियुक्तियों में सशुल्क चरित्र सत्यापन ।

महोदय,

गृह (पुलिस) अनुभाग-8

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 12-366-78, दिनांक 16 अप्रैल, 1960, 4 नवम्बर, 1980, 20 नवम्बर, 1980, 24 जनवरी, 1981 तथा 25 मार्च, 1981 के सन्दर्भ में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार स्थानीय निकायों तथा केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों द्वारा ग्रहीत, संचालित व नियन्त्रित औद्योगिक, व्यवसायिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अधीन नियुक्तियों में पूर्व की भांति एक ही चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन शुल्क रहेगा, अतएव आप इस संबंध में शासनादेश संख्या 430(1)/आठ (8) 95/67, दिनांक 29 मई, 1980 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा निर्धारित रीति से 20 रु0 प्रति व्यक्ति जमा कर दिये जाने पर ही सत्यापन आख्या सेवायोजक निकायों/प्रतिष्ठानों को भेजा जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक-उपरोक्त

भवदीय,
शिव प्रसाद,
अनुसचिव।

संख्या 310 (1)आठ (8)-67, तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारियों/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों तथा कार्मिक अनुभाग-2 को उपर्युक्त आदेशों के अनुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि संलग्न सूची में उल्लिखित प्रतिष्ठानों के पर्सनल मैनेजर को उनके पत्रों के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,
शिव प्रसाद,
अनु सचिव।